भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण। सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १३ मई, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short notice Questions and Answers.

EMPLOYMENT OF SHRI RAJNANDAN PRASAD, SON OF A POLITICAL SUFFERER.

397. Shri RAMANAND UPADHYA: Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that one Shri Rajnandan Prasad, son of the late Babu Devi Prasad of village Koilwar, P. O. Koilwar, district Shahabad, is a political sufferer, under clauses 1, 2, 8, and 9;

(*b*) whether it is a fact that his father the late Babu Devi Prasad died as a result of atrocities committed by the police officials on him and he was seriously beaten;

(*c*) whether it is a fact that after his death there is none to look after his poor family except his son, Shri Rajnandan Prasad, who is still unemployed;

(*d*) if the answer to clause (*c*) be in the affirmative, what action is being proposed to be taken by Government to see that Shri Rajnandan Prasad gets an employment or source by which he can maintain his family, if not, why;

(*e*) whether it is a fact that in spite of many efforts the said Rajnandan Prasad has failed to get any employment as yet, if so, what is being done to give him any employment?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) उत्तर हां है। यह समझ में नहीं आता कि माननीय

सदस्य ने जो यह लिखा है कि क्लाजेज १, २, ८ और ९ उसका क्या मतलब है।

(ख) डी० एम० ने रिपोर्ट में कहा है कि यह बात सही नहीं है कि उनके पिता देवी प्रसाद सिंह पुलिस के द्वारा १९४२ के आन्दोलन में मारे गये थे लेकिन यह रिपोर्ट डी० एम० ने की है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि पुलिस के अत्याचार के परिणामस्वरूप वे मरे।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जो प्रश्न है उसी का जवाब यह है कि यह सत्य नहीं है

कि श्री देवी प्रसाद पुलिस के द्वारा मारे गये।

(ग) इसका उत्तर हां है।

(घ) और (ङ) ५०० रुपया राजेन्द्र प्रसाद को सैंकशन हुआ है मगर उनका केस रिव्यू बोर्ड में रखा जाएगा। पोलिटिकल सफरर को नौकरी में कनसेसन देने के लिये जो अवधि थी वह ३१ दिसम्बर, १९५१ को समाप्त हो गई।

श्री दरोगा प्रसाद राय—क्या निकट भविष्य में इसकी बैठक होने की संभावना है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—अवश्य, जैसे ही असेम्बली का काम खत्म हो जाएगा बैठक बुलाई जाएगी।

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—सरकार ने बतलाया है कि राजनैतिक पीड़ितों को नौकरी देने के संबंध में जो अवधि थी वह समाप्त हो गई है, तो क्या सरकार यह समझती है कि जितने लोगों को उस अवधि में नौकरी मिल गई है वह पर्याप्त है या तिथि आगे बढ़ाने की बात सरकार सोच रही है?

अध्यक्ष—यह तो राय की बात है।

RELIEF TO POLITICAL SUFFERERS.

435. Shri SADANAND PRASAD: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Shri Lekha Singh and Bisheshwar Singh of P.-S. Dhanwar, district Hazaribagh, have applied to Government for relief as political sufferers;

(b) if the answer to clause (a) be in the affirmative have their applications been considered, if so, what amount have been sanctioned to them as a lump-sum relief or pension?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) इन पोलिटिकल सफरर्स के यहां से कोई दरखास्त नहीं आई है, पर बी० पी० एस० आर० सी० से श्री लेखा राय और श्री विशेश्वर सिंह को रिलीफ देने के लिये सिफारिश आई थी।

(ख) ३०० रु० श्री विशेश्वर सिंह को ५ जुलाई, १९५२ को सैंकशन किया गया है। श्री लेखा राय को पेन्सन देने के लिये डिप्टी कमिश्नर से विवरण मांगा गया है। अभी तक विवरण नहीं आया है।

भभूआ एस० डी० ओ० के कोर्ट में अफीडेविट।

४५८। श्री गुप्त नाथ सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि भभूआ के भूतपूर्व एस० डी० ओ०, डा० जे० जेकब के समय राजनीतिक पीड़ितों से जांच के समय अफीडेविट देने को विवश किया गया था और वही परम्परा उनके बाद भी चलती रही है;

(ख) क्या यह बात सही है कि अफीडेविट देने के सिलसिले में राजनीतिक पीड़ितों को अपार कष्टों का सामना करने एवं पैसे व्यय करने पड़े हैं क्योंकि बहुतों को अनेकों बार बुलाया गया;

(ग) क्या यह बात सही है कि कतिपय स्थानीय जनों की सलाह पर अनेक राजनीतिक पीड़ितों के अफसरों ने जान-बूझ कर जांच के लिये नहीं सूचना दी और बहुतों का नाम उन्हीं लोगों की सलाह से छांट दिया है;

(घ) यदि खंड (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो अफीडेविट देने वालों की कुल संख्या और वसूल की हुई रकम क्या है, और क्या सरकार ने अफीडेविट लेने का आदेश दिया था?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) आरम्भ में जांच के दौरान में पोलिटिकल सफरर्स से अफीडेविट मांगा जाता था, पर २२ जनवरी, १९५३ से जब यह बात डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नोटिस में आयी तब से यह नहीं मांगा जा रहा है।

(ख) सरकार सहमत है कि इससे लोगों को असुविधा हुई होगी, पर वास्तव में कोई असुविधा हुई इसकी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है, क्योंकि किसी ने ऐसी रिपोर्ट नहीं की है।

(ग) इसका उत्तर ना है।

(घ) १५० केसेज में अफीडेविट लिया गया था। सरकार की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई थी कि इनक्वारिंग औफिसर्स अफीडेविट लिया करें।

श्री गुप्त नाथ सिंह—क्या सरकार को यह पता है कि प्रान्त के और भी किसी स्थान के एस० डी० ओ० ने अफीडेविट लेने की परम्परा को प्रारंभ की थी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि भभुआ के सरकारी अफसरान एक अपने अलग लोक में रहा करते हैं और सरकार के किसी भी सर्कुलर या आर्डर की परवाह नहीं करते हैं?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—मैं जानना चाहता हूँ कि जिन अफसरों ने इस तरह की बात की, जिस तरह करने का प्रान्त के किसी भी स्थान में दावा नहीं किया गया और अपने ढंग का काम उन्होंने किया, तो उसके लिए सरकार ने किसी दंड विधान का विचार किया या अबतक कोई दंड दिया?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसमें एस० डी० ओ० के बोनाफाइडीज को क्वेश्च करने का कोई आधार सरकार को नहीं मिलता है। इसलिए दंड देने का सवाल नहीं उठता है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—मैं जानना चाहता हूँ कि पोलिटिकल सफरर्स से जितने अफीडेविट लिए गए उनसे सरकार को कितने रुपए मिले?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसके लिए तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा। इसकी खबर मेरे पास नहीं है। इसको इस दृष्टि से मैंने देखा भी नहीं है।

अध्यक्ष—अफीडेविट देनेवालों की संख्या १५० है और हरएक अफीडेविट के लिए २ रु० ४ आ० लगा दीजिए।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—कचहरी की जितनी तजरबा आपको है हमको नहीं है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि सरकार की जो फीस लगती है उसके अलावे वकीलों और ताईदों की फीस भी लगती है?

अध्यक्ष—यह ठीक है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—हुजूर सरकार ने बताया कि उनको कष्ट नहीं हुआ। मेरा कहना है कि एक-एक पोलिटिकल सफरर को पांच पांच दफे बुलाया गया और एक-एक को पचास-पचास रुपया खर्च करना पड़ा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार को इसका पता नहीं है तो क्या सरकार इस विषय में जांच करायेगी?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—जांच कराने की तो बात है नहीं। एस० डी० ओ० ने अपने मन से बिना सरकार की हिदायत के अफीडेविट की परम्परा को जारी किया, लोगों को कष्ट हुआ और असुविधा हुई। इस बात को सरकार ने स्वीकार किया और अब यह पद्धति बंद कर दी गई है।

श्री गुप्त नाथ सिंह—हुजूर पोलिटिकल सफरर्स पहले से ही पीड़ित थे। उनको और अधिक पीड़ित क्यों किया गया?

अध्यक्ष—इसका जवाब मिल चुका है।

पंडित विनोदानन्द झा—राजनैतिक पीड़ितों की दरखास्त की जो जांच होती है उस जांच का नेचर क्या है, यह जुडीशियल इंक्वायरी है या एक्जिक्युटिव इंक्वायरी है, अगर एक्जिक्युटिव इंक्वायरी है तो पब्लिक है या कंफीडेंशियल?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—नहीं, यह पब्लिक इंक्वायरी नहीं है। गवाही साखी तो लिया नहीं जाता। स्पेशल अफसर जाते हैं और उनके नजदीक जो कागजात रखे जाते हैं वह देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसी दरखास्त की जांच करता है। He has to be satisfied about the personal status of the political sufferer, about the sufferings of the political sufferer, and about the financial position of the political sufferer.
क्या यह पब्लिक इंक्वायरी नहीं है?

पंडित विनोदानन्द झा—यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार उस अधिकारी को सूचित करेगी कि ऐसी इंक्वायरी में अफीडेविट लेने की आवश्यकता नहीं थी, और अफीडेविट लेने के औचित्य के बारे में सरकार को संदेह है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इसको तो हमने मान लिया है।